CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

No.TQC/Stg. Policy/2018-19/238. Dated: 02.05.2018

CIRCULAR

SUB: Pre-monsoon fumigation-instructions-reg.

The monsoon season is fast approaching. As a Bailee of the goods stored with us, it is our duty to protect the stocks not only from pests but also from vagaries of weather. Instructions in this regard are being issued every year, which are to be followed scrupulously. All the Warehouse Managers are therefore, once again advised to take necessary measures which are re-iterated as below:-

- It must be ensured that all food grain stocks available in the Warehouse are given pre-monsoon fumigation irrespective of infestation before the onset of monsoon.
- Thorough inspection of the godowns should be carried out to detect leaky points and action taken to plug the same. In spite of this, if any leakages are noticed the stocks should be covered with polythene film.
- To avoid any clogging or flooding of water during the rainy season all valley-gutters, drainage and manholes should be thoroughly cleaned before the onset of monsoon.
- In case of hired godowns the owner should be asked to carry out necessary repairs immediately in accordance with terms and condition of the lease agreements.
- All delicate/hygroscopic commodities such as sugar, jaggery, fertilizer, cement, milk-powder, seeds etc. should be well protected against the damages during monsoon. All the doors and ventilators should be tightly closed during rain, so that the stocks are not exposed to humid weather.
- Periodicity of inspection of stocks should be increased in the godowns to find out signs of development of infestations, leakage, heating etc. in order to take proper remedial measures in time.
- The risk of fire is high during summer season before the onset of monsoon. It should be ensured that fire-fighting equipment like fire extinguishers, fire buckets should be charged and kept ready for use in emergency.

The telephone no. of police and fire station should be exhibited in the office premises and the staff members of the warehouse be advised to keep a close watch.

The above instructions be brought to the notice of all Warehouse Managers and staff and ensured that fumigation of all the food grain stocks available at the warehouse is completed by 30th June 2018.

(A.K.MALHOTRA) 02/05/2018
DY.GENERAL MANAGER (TECH)

Distribution to:
Regional Manager, Central Warehousing Corporation, Regional Office, Ahmedabad/ Bangalore/Bhopal/Bhubaneswar/Chandigarh/Chennai/ Delhi/Guwahati/Hyderabad/Jaipur/Kochi/ Kolkata/ Lucknow /Mumbai/ Panchkula/Patna/Raipur. } for information and necessary action please.

Copy to: GM (Insp.)/GM (MIS), CWC, CO, New Delhi.

4/1,Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 Phone : 26867503 (D/Telefax), Phone - 26566 107 / 239. e.mail icchadda.tech@gmail.com

2/5 JS(W/B) AKS

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007
FS 532299 | EMS 532300 | OHS 532301

संख्या : टीक्यूसी/स्टोरेज पॉलिसी/2018–19 दिनांक 02.05.2018

परिपत्र

विषय : मानसून से पूर्व प्रधूमन अनुदेशों के संबंध में ।

मानसून शीघ्र ही शुरू होने वाला है । वेअरहाउस में भंडारित स्टॉक के अमानतदार के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि स्टॉक को न केवल पैस्ट से अपितु मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाया जाए । इस संबंध में प्रत्येक वर्ष अनुदेश जारी किए जा रहे हैं, जिनका अनुपालन ईमानदारी से किया जाना चाहिए । अतः सभी वेअरहाउस प्रबन्धकों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे निम्नानुसार आवश्यक उपाय करें :

i). यह सुनिश्चित किया जाए कि मानसून की शुरूआत से पहले वेअरहाउस में भंडारित सभी खाद्यान्नों चाहे कीटग्रस्त हों या न हों, उसका मानसून से पहले का प्रधूमन किया जाए ।

ii). किसी भी प्रकार की लीकेज का पता लगाने के लिए गोदाम का पूर्ण रूप से निरीक्षण किया जाए तथा उचित कार्रवाई की जाए । इसके बावजूद यदि कोई लीकेज देखी जाए तो स्टॉक को पॉलीथिन फ़िल्म से ढका जाए ।

iii) मानसून की शुरूआत से पहले सभी वेली–गटर,ड्रेनेज तथा मेनहोल पूर्ण रूप से साफ हों ताकि वर्षा ऋतु के दौरान बाधा अथवा जल भराव की स्थिति से बचा जा सके ।

iv) किराये के गोदामों के संबंध में गोदाम–मालिक को लीज अनुबन्ध की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार तत्काल आवश्यक मरम्मत हेतु कहा जाए ।

V) मानसून के दौरान सभी नाजुक/हाइग्रोस्कोपिक वस्तुओं जैसे कि चीनी, गुड़, उर्वरक, सीमेन्ट, मिल्क–पाउडर,बीज इत्यादि को नुकसान होने से पूरी तरह से बचाया जाए । वर्षा ऋतु के दौरान सभी दरवाजों एवं रोशनदानों को कसकर बंद रखा जाए ताकि स्टॉक मौसम की नमी के सम्पर्क में न आए

vi) निरीक्षणों की अवधि में वृद्धि की जाए ताकि कीटग्रस्त स्थिति, लीकेज, हीटिंग इत्यादि के बारे में पता लगाया जा सके व समय पर उपचारात्मक उपाए किए जा सकें ।

vii) मानसून से पहले गर्मी के दौरान आग का जोखिम है । यह सुनिश्चित किया जाए कि अग्निशामन उपकरण जैसे अग्निशामक, फायर बकट को चार्ज किया जाए एवं आपात स्थिति में प्रयोग के लिए तैयार रखा जाए ।

पुलिस तथा फायर स्टेशन का टेलिफोन नं0 कार्यालय के परिसर में लिखा जाए तथा वेअरहाउस के स्टाफ को निगरानी रखने की सलाह दी जाए ।

उपर्युक्त अनुदेशों को सभी वेअरहाउस प्रबन्धक एवं स्टाफ की जानकारी में लाया जाए तथा वेअरहाउस में उपलब्ध सभी खाद्यान्न स्टॉक का प्रधूमन 30 जून, 2018 तक पूरा करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ए.के.मल्होत्रा) 02/05/2018
उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)

वितरणः–

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद/बेंगलुरू/भोपाल/भुवनेश्वर/चण्डीगढ़/चेन्नई/दिल्ली/गुवाहाटी/हैदराबाद/जयपुर/कोच्चि/कोलकाता/लखनऊ/मुम्बई/नवी मुम्बई/पंचकुला/पटना/ रायपुर– कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।